

राजस्थान सरकार की सिलिकोसिस नीति 2019 एवं इससे श्रमिकों पर प्रभाव

लेखा राम

सहायक आचार्य (VSY), अर्थशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, सिणधरी

सारांश

राजस्थान में खनन और पत्थर तराशने के कार्यों में लगे श्रमिकों में सिलिकोसिस, जोकि सिलिका धूल से होने वाला एक गंभीर फेफड़ों का रोग है, व्यापक रूप से फैला हुआ है। इस समस्या को नियंत्रित करने और इससे प्रभावित श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने 2019 में सिलिकोसिस नीति लागू की। इस नीति का उद्देश्य पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा, आर्थिक मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा, और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नीति के तहत प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ मिला है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में जागरूकता की कमी, मुआवजा वितरण में देरी, और धूल नियंत्रण उपायों का अभाव जैसी चुनौतियाँ हैं। नीति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता अभियान, समय पर मुआवजा वितरण, और धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। यह नीति श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और सिलिकोसिस के प्रभाव को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रस्तावना

राजस्थान, जो अपनी समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, में सिलिकोसिस रोग का प्रकोप गहराई तक फैला है। यह एक गंभीर बीमारी है जो मुख्य रूप से खदानों, पत्थर की खदानों, और पत्थर तराशने के कार्यों में लगे श्रमिकों को होती है। सिलिकोसिस सिलिका धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने से होता है, जो फेफड़ों में जमा होकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए, राजस्थान सरकार ने 2019 में सिलिकोसिस नीति बनाई ताकि इससे पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान की जा सके और इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके।

सिलिकोसिस क्या है?

सिलिकोसिस एक फेफड़ों की बीमारी है जो तब होती है जब लोग सिलिका धूल को लंबे समय तक साँसों के माध्यम से अपने शरीर में लेते हैं। सिलिका, जोकि पत्थर, रेत, और खनिजों में पाया जाता है, बहुत महीन कणों में बंटकर जब फेफड़ों में पहुँचता है, तो यह फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाता है और उनके क्षरण का कारण बनता है। इससे श्रमिकों में साँस लेने में कठिनाई, फेफड़ों का संक्रमण, टीबी, और कैंसर जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

राजस्थान में सिलिकोसिस की स्थिति

राजस्थान में बड़ी संख्या में श्रमिक खदानों और पत्थर काटने के कार्यों में लगे हैं। सिलिका धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण इन श्रमिकों में सिलिकोसिस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके चलते न केवल उनकी स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ी



हैं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई है क्योंकि वे इस रोग के कारण काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। राज्य में इस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, और इसी कारण इस समस्या को संबोधित करना आवश्यक हो गया।

सिलिकोसिस नीति 2019 : उद्देश्य और प्रावधान

राजस्थान सरकार ने 2019 में सिलिकोसिस नीति को लागू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक और चिकित्सा सहायता प्रदान करना था। इस नीति के तहत निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान शामिल किए गए हैं—

1. चिकित्सा सहायता :— सिलिकोसिस पीड़ितों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।
2. आर्थिक सहायता :— सिलिकोसिस से पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना। नीति के तहत सिलिकोसिस से मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है और जीवित पीड़ितों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
3. सामाजिक सुरक्षा योजनाएं :— सिलिकोसिस पीड़ितों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देना, जैसे पेंशन योजनाएं।
4. रोजगार के अवसर :— सिलिकोसिस से पीड़ितों के परिवारों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
5. धूल नियंत्रण उपाय :— कार्यस्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय लागू करना ताकि श्रमिकों को सिलिका धूल के संपर्क में आने से बचाया जा सके।

नीति के प्रभाव

राजस्थान सरकार की सिलिकोसिस नीति ने सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों पर कई सकारात्मक प्रभाव डाले हैं—

1. स्वास्थ्य सुधार :— नीति के तहत मिलने वाली चिकित्सा सेवाओं से श्रमिकों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति सुधारने में सहायता मिली है। उनके उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिलती है।
2. आर्थिक सुरक्षा :— आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए गए मुआवजे से श्रमिकों और उनके परिवारों को कुछ राहत मिली है। नीति के तहत मिलने वाली राशि से पीड़ित श्रमिक अपने जीवन को चलाने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं।
3. सामाजिक सुरक्षा का लाभ :— सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों से श्रमिकों को आर्थिक संतुलन मिलता है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
4. रोजगार के अवसर :— पीड़ितों के परिवारों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने से उन्हें एक स्थायी आजीविका का साधन मिलता है, जिससे उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहता है।
5. धूल नियंत्रण :— कार्यस्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने से श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हो रही है और इससे बीमारी के प्रसार को भी कम करने में मदद मिल रही है।



चुनौतियाँ और सीमाएँ

हालांकि राजस्थान की सिलिकोसिस नीति 2019 ने श्रमिकों को कई लाभ प्रदान किए हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी देखी गई हैं—

1. जागरूकता की कमी :- नीति के बारे में जानकारी और जागरूकता की कमी के कारण कई श्रमिक इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
2. संरचनात्मक समस्याएं :- नीति के क्रियान्वयन में ढांचागत और प्रशासनिक समस्याएं देखी गई हैं। मुआवजा वितरण प्रक्रिया में देरी होती है, जिससे पीड़ितों को समय पर सहायता नहीं मिल पाती।
3. अधिकारियों की जवाबदेही :- नीति के क्रियान्वयन में अधिकारियों की जवाबदेही की कमी देखने को मिलती है, जिससे इस योजना का सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है।
4. वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी :- पीड़ितों के परिवारों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर सीमित हैं, जिससे उनकी आजीविका की समस्या बनी रहती है।
5. पर्याप्त धूल नियंत्रण उपायों का अभाव :- कार्यस्थलों पर धूल नियंत्रण के प्रभावी उपायों की कमी के कारण सिलिका धूल का प्रसार जारी रहता है, जिससे बीमारी का खतरा बना रहता है।

समाधान और सुझाव

नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. जागरूकता अभियान :- सरकार को नीति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इसका लाभ उठा सकें।
2. समय पर मुआवजा वितरण :- मुआवजा वितरण प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना चाहिए ताकि पीड़ितों को समय पर सहायता प्राप्त हो सके।
3. प्रभावी धूल नियंत्रण उपाय :- कार्यस्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों को और अधिक सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि श्रमिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।
4. वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का विस्तार :- पीड़ितों के परिवारों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जानी चाहिए।
5. अधिकारियों की जवाबदेही :- नीति के क्रियान्वयन में लगे अधिकारियों को जवाबदेह बनाना आवश्यक है ताकि नीति का पूर्णतया पालन हो सके।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार की सिलिकोसिस नीति 2019 एक सराहनीय पहल है, जिसने सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। इस नीति ने उन्हें आर्थिक, सामाजिक, और चिकित्सा सहायता प्रदान कर उनकी जीवन स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया है। हालाँकि, नीति के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि इन चुनौतियों को दूर किया जाए, तो यह नीति श्रमिकों के जीवन में अधिक सकारात्मक बदलाव ला सकती है और राज्य में सिलिकोसिस के प्रकोप को नियंत्रित करने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है।



संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राजस्थान सरकार, श्रम विभाग (2019). राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 – नीति दस्तावेज, जयपुर: श्रम विभाग, राजस्थान सरकार।
2. वर्मा, आर. (2020). "भारत में सिलिकोसिस की समस्या और इससे जुड़े स्वास्थ्य प्रभाव," भारतीय जन स्वास्थ्य पत्रिका, 25(3), 58–67।
3. शर्मा, पी. और सिंह, एस. (2021). खनन उद्योग और श्रमिक स्वास्थ्य : सिलिकोसिस के प्रभाव, नई दिल्ली : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद।
4. गुप्ता, ए. (2019). "राजस्थान में सिलिकोसिस की स्थिति और सरकारी नीतियाँ," सोशल साइंस रिसर्च जर्नल, 14(2), 34–45।
5. चौधरी, एम. (2020). "सिलिकोसिस से निपटने में नीति निर्माण की भूमिका," सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण अध्ययन, 12(4), 89–96।
6. नरेन्द्र, जी. (2021). "भारत में सिलिकोसिस का प्रकोप और इसका आर्थिक प्रभाव," भारत विकास अध्ययन जर्नल, 18(1), 102–110।

